बरेली पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 06.07.2025

थाना भुता

थाना भुता #bareillypolice द्वारा दिनांक 05.07.2025 को ग्राम म्यूड़ी खुर्द कला में व्यक्ति की हत्या कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक चाकू, भाला एवं डंडा बरामद।

थाना भुता पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. गौरव पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 23 वर्ष 2.अनीता पत्नी चरनलाल उम्र करीब 38 वर्ष 3. चरनलाल पुत्र लीलाधर उम्र करीब 40 वर्ष निवासीगण ग्राम म्यूडी खुर्द कला थाना भुता जनपद बरेली को हत्या में प्रयुक्त 01 भाला व 01 चाकू व 01 डण्डा सहित किया गया गिरफ्तार।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-</u>

अभियुक्त गौरव पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 23 वर्ष मूल रूप से ग्राम म्यूड़ी खुर्द कला थाना भुता जिला बरेली का रहने वाला है। गौरव गांव में ही रहकर अपने परिवारीजनों के साथ मेहनत मजदूरी करता है। गौरव व उसके परिवारीजन अनीता पत्नी चरनलाल उम्र करीब 38 वर्ष व चरनलाल पुत्र लीलाधर उम्र करीब 40 वर्ष निवासीगण ग्राम म्यूडी खुर्द कला थाना भुता जनपद बरेली की गांव के ही उमाकान्त पुत्र रामपाल निवासी ग्राम म्यूड़ी खुर्द कला थाना भुता जिला बरेली के परिवार वालें के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। दिनांक 05.07.25 को क्रान्ति पत्नी उमाकान्त नि0 म्यूडी कला थाना भुता जाति भुर्जी (SC) अपनी देवरानी ममता पत्नी विरेन्द्र के साथ बाजार से वापस आ रही थी तो वापस आते समय इनका अपने ही परिवार की अनीता उर्फ बिल्लो रानी व उसके भतीजे गौरव से कहासुनी हो गयी थी। इसी बात को लेकर समय 19:00 बजे अनीता उर्फ बिल्लो रानी व उसके भतीजे गौरव द्वारा क्रान्ति के पति उमाकान्त उम्र 27 वर्ष की धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया, परिजनो द्वारा इलाज हेतु ले जाते समय रास्ते में उमाकान्त की मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में पर मु0अ0सं0 304/2025 धारा 103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीकृत किया गया। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण/अभियुक्ता 1.गौरव पुत्र छोटेलाल 2.अनीता पत्नी चरनलाल 3. चरनलाल पुत्र लीलाधर निवासीगण ग्राम म्यूडी खुर्द कला थाना भुता जनपद बरेली को रजपुरी नवादा मोड़ थाना भुता जिला बरेली से गिरफ्तार किया गया है। अभियक्तों की निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 01 भाला व 01 चाकू व 01 डण्डा बरामद हुआ है।

<u>घटना के सम्बन्ध में तथ्यों का सारगर्भित विवरण:</u>

आज दिनांक 06.07.2025 को अभियुक्तगण 1.गौरव पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 23 वर्ष 2.अनीता पत्नी चरनलाल उम्र करीब 38 वर्ष 3. चरनलाल पुत्र लीलाधर उम्र करीब 40 वर्ष निवासीगण ग्राम म्यूडी खुर्द कला थाना भुता जनपद बरेली को मुखबिर की सूचना पर रजपुरी नवादा मोड़ थाना भुता जिला बरेली के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियक्तों की निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 01 भाला व 01 चाकू व 01 डण्डा बरामद किया गया है।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाही:

आज दिनांक 06.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार मय हमराह फोर्स व0उ0नि0 श्री जोगेन्द्र सिंह, हे0का0 383 संजीव कुमार, का0 1292 निर्भय कुमार,म0का0 3602 श्वेता व म0का0 3231 पल्लवी राणा के मु0अ0सं0 304/2025 धारा 103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 की विवेचना में मामूर था कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी कि म्यूडी खुर्द कला में हुए मर्डर से सम्बन्धित तीन अभियुक्तगण जिसमें 01 महिला भी है। वह कहीं जाने की फिराक में रजपुरी नवादा मोड़ पर खड़े हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम रजपुरी नवादा मोड़ पर पहुंचकर उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण/अभियुक्ता 1.गौरव पुत्र छोटेलाल 2.अनीता पत्नी चरनलाल 3.चरनलाल पुत्र लीलाधर निवासीगण ग्राम म्यूडी खुर्द कला थाना भुता जनपद बरेली को महिला का0 की मदद से भागने का मौका दिये बिना गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण/अभियुक्ता की निशांदेही से घटना में प्रयुक्त 01 भाला व 01 चाकू व 01 डण्डा के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1. मु0अ0सं0 304/2025 धारा 103(1)/3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना भुता जिला बरेली।

पूछताछ एवं अभियुक्त का विवरण (जैसे कि वह कहां का रहने वाला है, कितना पढ़ा-लिखा है,पूर्व में/वर्तमान क्या करता/करती है, घटना स्थल किस तरह पहुँचा और अपराध में संलिप्त करने का कारण आदि):

अभियुक्त गौरव पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 23 वर्ष मूल रूप से ग्राम म्यूड़ी खुर्द कला थाना भुता जिला बरेली का रहने वाला है। गौरव व उसके परिवारीजन गांव में ही रहकर अपने परिवारीजनों के साथ मेहनत मजदूरी करते है। अभियुक्तगणों द्वारा पूछने पर एक स्वर में बताया कि हम लोग गरीब परिवार से हैं। ज्यादा खेती बाड़ी नहीं है। ज्यादा पढे लिखे भी नहीं है। आज उमाकान्त की पत्नी अपने परिवार की ममता के साथ के साथ केसरपुर से लौट रहे थे कि गौरव व अनीता उर्फ बिल्लों रानी की बहस होने लगी थी। इन लोगों की हम लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। आज भी यह लोग हमसे भिड़ गये थे। अभियुक्तों ने मौके पाकर अपने घर के सामने काम करके लौट रहे उमाकान्त के लाठी, भाला, चाकू से हमला कर दिया था। जिससे उमाकान्त गम्भीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद इसके घर वाले आ गये थे तो सभी लोग मौके से भाग गये थे। बाद में इनको जानकारी होने पर कि उमाकान्त की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी है, कही दूर भागने की फिराक में थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

बरामदगी का विवरण

2. एक भाला
3. एक चाकू
4. एक डण्डा

पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार थाना भुता, बरेली।
2. व0उ0नि0 श्री जोगेन्द्र सिंह थाना भुता, बरेली।
3. हे0का0 383 संजीव कुमार थाना भुता, बरेली।
4. का0 1292 निर्भय कुमार थाना भुता, बरेली।
5. म0का0 3602 श्वेता थाना भुता, बरेली।
6. म0का0 3231 पल्लवी राणा थाना भुता, बरेली।